UPMB010010092023

निर्णय

फार्म– ए

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०(सी०ए०डब्लू०) , महोबा।

उपस्थितिः तेन्द्र पाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J O code UP- 1719

सत्र वाद संख्या –361/2023

CNR NO- UPMB010010092023

निर्णय की तिथि-02.04.2026

उत्तर प्रदेश सरकार ..... अभियोजक

बनाम

1.देवेन्द्र उर्फ भूरा यादव पुत्र धान सिंह यादव निवासी ग्राम स्योढ़ी थाना पनवाड़ी जिला महोबा।
2.भूपेन्द्र यादव पुत्र मुन्ना उर्फ मातादीन यादव निवासी ग्राम माधौगंज थाना महोबकंठ जिला महोबा।

---------- अभियुक्तगण

मु०अ०स०-386/2012
धारा–363, 366 भा०दं०सं०
थाना–महोबकंठ जिला महोबा

परिवादी/शिकायतकर्ता	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह राजपूत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता , फौजदारी
अभियुक्त	1.देवेन्द्र उर्फ भूरा यादव 2.भूपेन्द्र यादव
द्वारा अधिवक्ता	श्री इन्द्रपाल सिंह यादव

फार्म– बी

अपराध की तिथि	दिनांक–01–04–2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	दिनांक–05–04–2012
आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	दिनांक–03–12–2022
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	दिनांक–28–04–2023
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक–16–04–2024
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	दिनांक–23–03–2026
निर्णय का दिनांक	दिनांक– 02–04–2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	बरी या सजा	की गयी	धारा–428 Cr.p.c. के उद्देश्य से अभियुक्त के

						सजा	हिरासत में निरूद्धि की अवधि
01 02	देवेन्द्र उर्फ भूरा यादव भूपेन्द्र यादव			धारा 363, 366 भा०दं०सं०	बरी		

फार्म सी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन–

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी.डब्लू–1	सुघर सिंह यादव	वादी मुकदमा
पी.डब्लू–2	कालका प्रसाद	साक्षी
पी.डब्लू–3	खेत सिंह यादव	साक्षी
पी.डब्लू–4	वर्षा	साक्षी
पी.डब्लू–5	नरेन्द्र कुमार सचान	सेवानिवृत्त उप निरीक्षक
पी.डब्लू–6	चन्द्रभान दुबे	सेवानिवृत्त उप निरीक्षक

बी० प्रतिरक्षा साक्षी–

कोई नहीं

सी– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो,

सी०डब्लू०-1 दिनेश कुमार, प्रधानाध्यापक- प्रदर्श ख-1

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण/उल्लेख
1.	प्रदर्श क–1/पी.डव्लू. 1	तहरीर
2–	प्रदर्श क–2/ पी.डव्लू.5	नक्शा नजरी
3–	प्रदर्श क–3/ पी.डव्लू.5	फर्द बरामदगी
4–	प्रदर्श क–4/पी.डब्लू.5	आरोप पत्र
5–	प्रदर्श क–5/पी.डब्लू.6	प्रथम सूचना रिपोर्ट
6–	प्रदर्श क–6/पी.डब्लू.6	कायमी जी०डी०

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण देवेन्द्र उर्फ भूरा यादव एवं भूपेन्द्र यादव का विचारण थाना महोबकंठ की पुलिस द्वारा मु0 अ 0 सं0 386/2012, अन्तर्गत धारा 363 एवं 366 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ जनपद महोबा द्वारा प्रसंज्ञान लेने व धारा 207 दं०प्र०सं के अन्तर्गत नकलें प्रदान करने के उपरान्त सत्र सुपुर्द किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा सुगर सिंह पुत्र लेखराज ने थानाध्यक्ष महोबकंठ को इस आशय की तहरीर दी कि वह ग्राम टिकरिया पोस्ट उमरई थाना महोबकंठ परगना तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा का निवासी है। दिनांक 01.04.2012 दिन सोमवार की शाम चार बजे के लगभग ग्राम स्योढ़ी थाना पनवाड़ी का देवेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र धान

सिंह जाति यादव व भूपेन्द्र पुत्र मुन्ना यादव निवासी माधौगंज थाना महोबकंठ उसकी नाबालिग पुत्री वर्षा जिसकी जन्म तिथि 06.06.1996 थी को ग्राम टिकरिया से बहला–फुसलाकर भगा ले गये। साथ में घर में रखे सत्रह हजार रूपये, बारह आना भर सोने की झुमकी, मंगलसूत्र सोने का वजन एक तोला लेकर भूपेन्द्र की मोटर साइकिल से भगा ले गये। वादी वगैरा फसल की थ्रेसिंग कर रहे थे। घर पर कोई नहीं था। इस घटना को मुहल्ले के कालका प्रसाद पुत्र मल्ले व खेत सिंह पुत्र घनश्याम ने तीनों को जाते हुये रास्ते में देखा है। इन लोगों की काफी खोजबीन की, इनका कहीं पता नहीं चला। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मामले की जाँच कर रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

3. वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना कुलपहाड़ पर मु०अ०सं० 386/2012 धारा–363, 366 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण देवेन्द्र उर्फ भूरा व भूपेन्द्र के विरूद्ध दर्ज की गयी। प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचक ने आवश्यक अभिलेखों का इन्द्राज अपनी केस डायरी में किया तथा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शानजरी तैयार किया। विवेचनाधिकारी ने विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण देवेन्द्र उर्फ भूरा व भूपेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अवर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 363, 366 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस के समर्थन में कुल 06 साक्षियों को परीक्षित किया गया।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर बयान अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र०सं0 अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना से इंकार करते हुए तथ्य के साक्षीगण ने उनके खिलाफ कोई साक्ष्य न देने का कथन किया है तथा औपचारिक साक्षीगण के बारे में यह कथन किया है कि वे औपचारिक साक्षी हैं तथा उन्होंने गलत बयान दियें हैं तथा यह भी कथन किया है कि संदेह के कारण रंजिश में मुकदमा बनाया गया।अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ भूरा ने अपने बयान में यह बताया है कि पीड़िता से शादी की बात चल रही थी परन्तु रिश्ता टूट जाने के कारण झूठा मुकदमा लिखाया गया है अभियुक्तगण ने अपने बचाव में साक्ष्य देने का कथन किया है किन्तु बाद में सफाई साक्ष्य देने से मना किया है।

7. मैंने विद्वान सहायक जिला सहायक अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया।

8. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 1 के रूप में वादी मुकदमा सुगर सिंह यादव को

परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि घटना को बयान की तिथि 16.04.2024 से लगभग 12 साल हो गये है। घटना 04:00 बजे शाम की है। घटना दिनांक को उसके गेहू कट रहे थे एवं थ्रेसिंग हो रही थी। खेतो में वह व उसकी पत्नी सुधा थी, उसका बच्चा पवन घर से बाहर गुजरात में था। उसकी पुत्री वर्षा उम्र लगभग 14 वर्ष घर में अकेली थी। शाम को लगभग चार बजे उसके दरवाजे पर देवेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र धान सिंह निवासी ग्राम स्योढी थाना पनवाडी व उसके मामा का लड़का निवासी माधवगंज दोनों लोग मोटरसाइकिल से आये और उसकी पुत्री वर्षा को बहला फुसलाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर भगा कर ले गये। शाम को पौन छः बजे के लगभग जब वह और उसकी पत्नी घर पर आये तो उसकी पुत्री वर्षा घर पर मौजूद नहीं मिली तो उन लोगो ने मुहल्ले में तलाश की तो वह नहीं मिली। तलाश के दौरान मुहल्ले के कालका एवं खेत सिंह ने उसे बताया कि उसकी लड़की वर्षा को दो लडके मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गये है। उसे लड़को के नाम नहीं बताये थे, उसने जानकारी की थी तो उसे मालूम चला था कि उसकी लड़की को देवेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र धान सिंह व उसके मामा का लड़का बहला फुसला कर भगा ले गया है। वर्षा अपने साथ घर में रखी एक जोड सोने की झुमकी, एक मंगल सूत्र सोने का व 17000/– रूपये ले गयी थी। उसने दो–तीन दिन अपनी पुत्री वर्षा की तलाश की लेकिन वह नहीं मिली तो उसने घटना के चार–पाँच दिन बाद थाना महोबकठ जाकर थाने के बाहर विनोद उर्फ शिवचरन पुत्र अज्ञात निवासी महोबकठ से बोल बोलकर घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र लिखवाया था, लिखने के बाद उसने उसने पढ़कर सुनाया था फिर उसने प्रार्थना पर में अंगूठा लगाया इसके बाद प्रार्थना ले जाकर थाने में देकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। दरोगा जी ने घटना के सम्बन्ध में उसका बयान लिया था। वह पढ़ा लिखा नहीं है। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 5 क तहरीर प्रार्थना पत्र को देखकर कहा कि उसने यही प्रार्थना पत्र थाने में देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी इस पर लगा अंगूठा निशानी उसका है जिसकी वह पुष्टि करता है। गवाह को इस पर लिखे तथ्य पढ़कर सुनाये गये तो गवाह ने कहा कि इस पर लिखे सभी तथ्य सही है जिनकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसे यह जानकारी है कि उसकी पुत्री वर्षा आज भी अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ भूरा के साथ रहती है। गवाह ने हाजिर अदालत अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ भूरा को देखकर कहा कि यही व्यक्ति अपने मामा के लड़के के साथ उसकी पुत्री वर्षा को बहला फुसलाकर भगा ले गया था।

9. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 2 के रूप में कालका प्रसाद को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि बयान की तिथि 15.06.2024 से लगभग बारह–सवा बारह साल पहले सुधर सिंह की लड़की अपने घर से कहीं चली गयी थी जिसकी उसे जानकारी हुयी थी। उसने सुघर सिंह की लड़की वर्षा को

किसी को ले जाते हुये नहीं देखा है। उसे आज भी जानकारी नहीं है कि सुघर सिंह यादव की लड़की वर्षा को कौन ले गया था। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। वर्षा के घर से जाने की बात सुघर सिंह यादव ने उसे स्वयं काफी दिन बाद बतायी थी, तब उसे जानकारी हुयी थी। गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

10. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 3 के रूप में खेत सिंह यादव को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि बयान की तिथि 15.06.2024 से लगभग बारह सवा बारह साल पहले सुधर सिंह की लड़की अपने घर से कहीं चली गयी थी जिसकी उसे जानकारी हुयी थी। उसने सुघर सिंह की लड़की वर्षा को किसी को ले जाते हुये नहीं देखा है। उसे आज भी जानकारी नहीं है कि सुघर सिंह यादव की लड़की वर्षा को कौन ले गया था। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। वर्षा के घर से जाने की बात सुघर सिंह यादव ने उसे स्वयं काफी दिन बाद बतायी थीए तब मुझे जानकारी हुयी थी। गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

11. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 4 के रूप में वर्षा को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि उसके पिता जी का नाम सुघर सिंह है। ग्राम टिकरिया थाना महोबकंठ के रहने वाले हैं। वह हाई स्कूल तक पढ़ी है। वह ग्राम सिवड़ी में हाई स्कूल तक पढ़ी है। उसका विद्यालय सिवड़ी के पास ग्राम मसूदपुरा में है। देवेन्द्र उसके साथ स्कूल में नहीं पढ़ता था। वह सिवड़ी में अपनी नानी के साथ रहती थी। देवेन्द्र उर्फ भूरा सिवड़ी का रहने वाला है और भूपेन्द्र ग्राम माधौगंज का रहने वाला है। उसने कक्षा पांच सिवड़ी के प्राथमिक विद्यालय से किया था। उसकी जन्मतिथि दिनांक 06.06.1996 है। वह दिनांक 02.04.2012 को देवेन्द्र के साथ घर से भागकर नहीं गयी थी, बल्कि वह अकेली ही घर से दिल्ली चली गयी थी क्योंकि उसके माता–पिता उसकी शादी उससे दुगुनी उम्र के व्यक्ति से बिना उसकी मर्जी के कर रहे थे इस कारण वह अकेली दिल्ली चली गयी थी। उसके साथ भूपेन्द्र यादव भी नहीं गया था। घर से जाने के लगभग दो साल बाद उसकी अभियुक्त देवेन्द्र से दिल्ली में मुलाकात हुयी थी। उसने प्रयागराज में आर्य समाज मंदिर से शादी की थी। यह सही है कि उसके घर से जाने के बाद दिनांक 05.04.2012 को रिपोर्ट हुयी थी। यह रिपोर्ट उसके पिता ने देवेन्द्र व भूपेन्द्र यादव के नाम दर्ज की थी। इस रिपोर्ट की जानकारी उसे घटना के दो साल बाद हुयी जब उसने शादी कर ली थी। यह सही है कि घर से जाने के बाद आज तक अपने पिता के घर नहीं गयी है। गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

12. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 5 के रूप में सेवानिवृत्त उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार सचान को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 05.04.2012 को थाना महोबकंठ में एस०आई० के पद पर तैनात था। उस दिन थाना महोबकंठ में मु०अ०सं० 386/12 धारा 363, 366 भा०दं०सं० थाना महोबकंठ बनाम देवेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र धान सिंह निवासी स्योढ़ी थाना पनवाड़ी व भूपेन्द्र पुत्र मुन्ना यादव निवासी माधौगज थाना महोबकंठ के विरूद्ध पंजीकत हुआ था। वह ग्राम तेइया मोड़ पर मौजूद था। वहां पर उसे होमगार्ड द्वारा नकल चिक, नकल रपट वास्ते विवेचना प्राप्त हुयी थी। वह तुरन्त विवेचना में मसरूफ होकर इसी दिन पर्चा नम्बर –1 किता किया जिसमे नकल रपट, नकल तहरीर, नकल चिक का अवलोकन किया। ग्राम टिकरिया पहुंचकर वादी मुकदमा सुघर सिंह यादव पुत्र लेखराज मिला। पूँछने पर एफ०आई०आर० का समर्थन करते हुये बयान दर्ज किये व वादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। तत्पश्चात गवाह महादेव सुनी सुनायी साक्ष्य दिया। उसी दिन एफ०आई०आर० लेखक के बयान अंकित किये। दिनांक 06.04.2012 को पर्चा नम्बर 2 किता किया। जिसमें स्वतंत्र साक्षी धर्मराज यादव व रामहेतु यादव के बयान दर्ज किये व पीड़िता व अभियुक्त की तलाश की गयी परन्तु कोई भी सफलता नहीं मिली। दिनांक 08.04.2012 को पर्चा नम्बर 3 किता किया जिसमें वादिया की सास शिवकुँवर पत्नी हरीपत यादव निवासी ग्राम स्योढ़ी थाना पनवाड़ी के बयान दर्ज किये व तलाश की गयी परन्तु कोई भी नहीं मिला। दिनांक 10.04.2012 को पर्चा नम्बर 4 किता किया जिसमें एफ०आई०आर० के गवाह कालका प्रसाद का बयान अंकित किया। दिनांक 14.04.2012 को पर्चा नम्बर 5 किता किया मुखबिर को लेकर पीड़िता व अभियुक्तगण की तलाश की गयी लेकिन नहीं मिले। दिनांक 13.04.2012 को पर्चा नम्बर 6 किता किया गया जिसमें मुखबिर के बताये हुये स्थानों पर दबिश दी गयी परन्तु कोई नहीं मिला। दिनांक 16.04.2012 को पर्चा नम्बर 7 किता किया गया। वादी के भाई रज्जन यादव पुत्र लेखराज व बयान गवाह एफ०आई०आर० खेत सिंह यादव के बयान अंकित किये। दिनांक 22.04.2012 को पर्चा नम्बर 8 किता किया गया जिसमे पीड़िता व अभियुक्तगण की तलाश की गयी लेकिन नहीं मिले। दिनांक 27.07.2012 को पर्चा नम्बर 9 किता किया गया जिसमें वादिया व अभियुक्तगण की गयी लेकिन कोई नहीं मिला। दिनांक 30.04.2014 को पर्चा नम्बर 10 किता किया गया जिसमें न्यायालय से अभियुक्तगण के खिलाफ एन०बी०डब्लू० प्राप्त हुआ व 82, 83 दं०प्र०सं० की याचना की गयी। दिनांक 02.05.2012 को पर्चा नम्बर 11 किता किया गया जिसमें एन०बी०डब्लू० तामील कराया गया। दिनांक 03.05.2012 को पर्चा नम्बर 12 किता गया जिसमें अपहृता व अभियुक्तगण की तलाश की गयी लेकिन नहीं मिले। दिनांक 07.05.2012 को पर्चा नम्बर 13 किता किया गया जिसमें 82 व 83 दं०प्र०सं० की याचना

न्यायालय से की गयी। दिनांक 08.05.2012 को पर्चा नम्बर 14 किता किया जिसमें वादिया व अभियुक्तगण की तलाश की गयी लेकिन नहीं मिले। दिनांक 09.05.2012 को पर्चा नम्बर 15 किता किया गया जिसमें एन०बी०डब्लू० अभियुक्तगण भूपेन्द्र व देवेन्द्र के तामील किये गये। दिनांक 12.05.2012 को पर्चा नम्बर 16 किता किया गया जिसमें वादिया व अभियुक्तगण की तलाश की गयी लेकिन नहीं मिले। दिनांक 13.05.2012 को पर्चा नम्बर 17 किता किया गया जिसमें वादिया व अभियुक्तगण की तलाश की गयी, नहीं मिले। दिनांक 15.05.2012 को पर्चा नम्बर 18 किता किया गया जिसमे 82 व 83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी दिनांक 16.03.201 को पर्चा नम्बर 19 किता किया गया। जिसमें पीड़िता की मार्कशीट का अवलोकन किया जिसमें उसकी जन्मतिथि 06.06.1996 अंकित थी। दिनांक 18.05.2012 को पर्चा नम्बर 20 किता किया गया जिसमें वादिया व अभियुक्तगण की तलाश की गयी लेकिन नहीं मिले। दिनांक 25.05.2012 को पर्चा नम्बर 21 किता किया गया, जिसमें वादिया व अभियुक्तगण की तलाश की गयी, नहीं मिले। दिनांक 02.06.2012 को पर्चा नम्बर 22 किता किया गया जिसमें वादिया व अभियुक्तगण की तलाश की गयी,नहीं मिले। दिनांक 06.06.2012 को पर्चा नम्बर 23 किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण व पीड़िता की तलाश की गयी, नहीं मिले। दिनांक 15.06.2012 को पर्चा नम्बर 24 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण व पीड़िता की तलाश की गयी लेकिन नहीं मिले। दिनांक 26.06.2012 को पर्चा नम्बर 25 किता किया गया, जिसमें पीड़िता व अभियुक्तगण की तलाश की गयी, नहीं मिले। दिनांक 03.07.2012 को पर्चा नम्बर 26 किता किया गया, जिसमें पीड़िता व अभियुक्तगण की तलाश की गयी, नहीं मिले। दिनांक 12.07.2012 को पर्चा नम्बर 28 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण न मिलने पर न्यायालय में पयार्प्त आधार मिलने पर धारा 363, 366 भा०दं०सं० देवेन्द्र उर्फ भूरा यादव व भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो आरोप पत्र संख्या 64/12 है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 83 दं०प्र०सं० की गयी जिसमें सामान की सूची पर्चा में संलग्न है। पत्रावली में का०सं० 8क नक्शा नजरी व 12क फर्द खाना तलाशी व 3क आरोप पत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि करता है जिसमें प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 डाला गया। वादिया का यहॉ तात्पर्य पीड़िता से है।

13. सी0 डब्लू0 1 के रूप में दिनेश कुमार पुत्र श्री चतुर्भुज, प्रधानाध्यापक को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह इस विद्यालय में बयान की तिथि 20.11.2025 से पूर्व प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात था। आज वह न्यायालय में विद्यालय का छात्र–छात्राओं का रजिस्टर लेकर आया है। आज वह 2012 जुलाई के रजिस्टर के क्रमांक संख्या 709 में छात्रा वर्षा देवी पुत्री सुघर सिंह यादव का नाम अंकित

है। जिसने 06.07.2012 को कक्षा में प्रवेश किया था जिसकी जन्मतिथि 06.06.1996 अंकित है। छात्रा का प्रवेशपा उसकी नानी श्रीमती शिवकुंवर लेकर आयी थी जिसकी वह पुष्टि करता है। प्रवेश रजिस्टर में क्रमांक को प्रमाणित कर न्यायालय में दाखिल कर रहा है। जिस पर प्रदर्श ख–1 डाला गया।

बहस बचाव पक्षः–

14. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें झूठा फँसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उनके द्वारा वादी की पुत्री का न तो अपहरण किया गया है न ही अन्य कोई अपराध किया है। वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 ने स्वयं भी अपनी पुत्री को अभियुक्तगण के साथ जाते हुये नहीं देखा क्योंकि वह घटना के दिन खेत में था। वादी द्वारा कालका प्रसाद व खेत सिंह यादव के बताने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी, जबकि कालका प्रसाद ने पी०डब्लू०–2 के रूप में तथा खेत सिंह यादव ने पी०डब्लू०–3 के रूप में न्यायालय में कहा है कि उसने वादी की लड़की को किसी को ले जाते हुये नहीं देखा तथा वे अभियुक्तगण को जानते व पहचानते नहीं है तथा पीड़िता वर्षा ने पी०डब्लू० –4 के रूप में न्यायालय में आकर कहा है कि वह अभियुक्तगण के साथ नहीं गयी थी वह स्वयं ही दिल्ली चली गयी थी और वहॉ प्राइवेट नौकरी करती थी। अभियुक्तगण उसको कहीं नहीं ले गये थे उसके पिता उससे दुगनी उम्र के लड़के से बिना उसकी मर्जी से शादी कराना चाहते थे इसलिए वह अकेली दिल्ली चली गयी थी। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अतः उन्हें दोषमुक्त किया जाये।

बहस अभियोजन पक्षः–

15. अभियोजन की ओर से कहा गया कि पीड़ता घटना के समय नाबालिग थी और अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला–फुसलाकर अपहरण करके कहीं दूर ले जाया गया और उससे अभियुक्त देवेन्द्र ने जबरदस्ती शादी कर ली। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर अपराध किया गया है। पीड़िता की उम्र भी सी०डब्लू०–1 द्वारा साबित की गयी है। पीड़िता की जन्मतिथि 06.06.1996 साबित है। घटना दिनांक 01.04.2012 की है। इससे स्पष्ट है कि घटना के समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी। नाबालिग पीड़िता के बयान का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह अवयस्क होने के कारण उसकी सहमति नहीं मानी जायेगी। ऐसी स्थिति में उन्हें दोषसिद्ध किया जाये।

निष्कर्ष

16. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथा उनके द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित अवधार्य बिंदुओं का विरचन किया जा रहा है–

1. क्या घटना के समय वादी की पुत्री पीड़िता नाबालिग थी?

2. क्या वादी की पुत्री पीड़िता को अभियुक्तगण द्वारा वादी की संरक्षकता से वादी की सहमति के बिना अपहृत करके अयुक्त सम्भोग करने अथवा विवाह करने के आशय से अपने साथ ले जाने के लिए उत्प्रेरित किया?

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–1</u>

17. अवधार्य बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या घटना के समय वादी की पुत्री पीड़िता नाबालिग थी?

18. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि 01.04.2012 को समय करीब चार बजे वादी की पुत्री को अभियुक्तगण देवेन्द्र उर्फ भूरा तथा भूपेन्द्र बहला–फुसलाकर ले गये। वादी ने अपनी पुत्री को घटना के समय नाबालिग होना कहा है तथा उसकी जन्मतिथि 06.06.1996 बतायी है। वादी मुकदमा को पी०डब्लू०–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। अपने बयान में भी पी०डब्लू०–1 ने पीड़िता की जन्मतिथि 06.06.1996 बतायी है। न्यायालय की ओर से सी०डब्लू०–1 के रूप में दिनेश कुमार प्रधानाध्यापक कम्पोजिट कन्या प्राथमिक विद्यालय स्योढ़ी तहसील कुलपहाड़ को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह छात्र–छात्राओं का रजिस्टर लाया है। रजिस्टर के क्रमांक संख्या 709 में छात्रा वर्षा देवी पुत्री सुघर सिंह यादव का नाम अंकित है। जिसकी जन्मतिथि 06.06.1996 अंकित है तथा पीड़िता ने पी०डब्लू०–4 के रूप में अपने बयान में अपनी जन्मतिथि 06.06.1996 बतायी है। ऐसी स्थिति में यह साबित है कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी। अतः अवधार्य बिन्दु संख्या –१ तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु संखया–2</u>

19. अवधार्य बिन्दु संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी की पुत्री पीड़िता को अभियुक्तगण द्वारा वादी की संरक्षकता से वादी की सहमति के बिना अपहृत करके अयुक्त सम्भोग करने अथवा विवाह करने के आशय से अपने साथ ले जाने के लिए उत्प्रेरित किया?

20. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को बहला–फुसलाकर नहीं ले जाया गया था। पीड़िता ने स्वयं आकर न्यायालय में बयान दिया है कि वह स्वेच्छा से अकेली ही दिल्ली चली गयी थी। उसके जाने में अभियुक्तगण का कोई हाथ नहीं है। साथ ही जिन साक्षीगण के बयान के आधार पर पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी उन्होंने ने भी अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को उनके सामने ले जाने से इंकार किया है, जबकि अभियोजन द्वारा

कहा गया है कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी अभियुक्तगण उसे बहला–फुसलाकर ले गये। पी०डब्लू०–1 न्यायालय में आकर अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित किया है।

21. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से कुल 6 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है जिसमें तथ्य के चार साक्षीगण हैं तथा दो साक्षीगण औपचारिक हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय के आदेश से भी सी०डब्लू० –1 को परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा है जिसने अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है। पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–3 ने घटना का समर्थन नहीं किया है। पी०डब्लू० –4 स्वयं पीड़िता है। उसने भी घटना से इंकार किया है। पी०डब्लू०–5 मामले के विवेचक है जिसने आरोप पत्र, नक्शा नजरी और फर्द तलाशी को साबित किया है तथा न्यायालय साक्षी सी०डब्लू०–1 ने पीड़िता की जन्मतिथि को साबित किया है।

22. यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 01.04.2012 की है। वादी मुकदमा ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अपनी पुत्री पीड़िता को अभियुक्तगण द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। दिनांक 01.04.2012 को पीड़िता नाबालिग थी, यह साबित हो चुका है। अब यह देखना है कि क्या नाबालिग पीड़िता को अभियुक्तगण द्वारा बहला फुसलाकर उससे अयुक्त सम्भोग करने व विवाह करने हेतु विवश किया गया? इस प्रकरण में वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना को बयान की तिथि 16.04.2024 से लगभग 12 साल हो गये है। घटना 04:00 बजे शाम की है। घटना दिनांक को उसके गेहू कट रहे थे एवं थ्रेसिंग हो रही थी। खेतो में वह व उसकी पत्नी सुधा थी, उसका बच्चा पवन घर से बाहर गुजरात में था। उसकी पुत्री वर्षा उम्र लगभग 14 वर्ष घर में अकेली थी। शाम को लगभग चार बजे उसके दरवाजे पर देवेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र धान सिंह निवासी ग्राम स्योढी थाना पनवाडी व उसके मामा का लड़का निवासी माधवगंज दोनों लोग मोटरसाइकिल से आये और उसकी पुत्री वर्षा को बहला फुसलाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर भगा कर ले गये। शाम को पौन छः बजे के लगभग जब वह और उसकी पत्नी घर पर आये तो उसकी पुत्री वर्षा घर पर मौजूद नहीं मिली तो उन लोगो ने मुहल्ले में तलाश की तो वह नहीं मिली। तलाश के दौरान मुहल्ले के कालका एवं खेत सिंह ने उसे बताया कि उसकी लड़की वर्षा को दो लडके मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गये है। उसे लड़को के नाम नहीं बताये थे, उसने जानकारी की थी तो उसे मालूम चला था कि उसकी लड़की को देवेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र धान सिंह व उसके मामा का लड़का बहला फुसला कर भगा ले गया है तथा पी०डब्लू०–1 ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि उसे अपनी पुत्री की जन्मतिथि आज याद नहीं है परन्तु उसने कहा कि घटना के समय उसकी उम्र 14 वर्ष थी। बाद में पूँछने पर साक्षी ने बताया कि उसे याद नहीं है कि तहरीर लिखने वाले को अपनी पुत्री वर्षा की जन्मतिथि 06.06.1996 बतायी थी या नहीं बतायी थी।

लेकिन तहरीर में 06.06.1996 जन्मतिथि अंकित है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसे कालका प्रसाद ने बताया था कि देवेन्द्र उर्फ भूरा व उसके मामा के लड़के साथ वर्षा गयी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसे घटना के चार दिन बाद यह पता चल गया था कि उसकी पुत्री वर्षा को देवेन्द्र उर्फ भूरा व उसके मामा का लड़का ले गया है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि वर्षा ने कब शादी की। उसकी लड़की वर्षा ने देवेन्द्र उर्फ भूरा के साथ शादी की है या नहीं, लेकिन उसके साथ रह रही है। आज तक घर से जाने के बाद वर्षा न तो उसके घर के किसी व्यक्ति से मिली है न ही फोन के माध्यम से कभी वार्ता हुयी है। वह लोगों व अपने साले के बताने के आधार पर बता रहा है कि उसकी लड़की वर्षा देवेन्द्र उर्फ भूरा के साथ रह रही है। उसकी लड़की वर्तमान में सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है या दुःखमय जीवन व्यतीत कर रही है, इस सम्बन्ध में उसका उससे कोई वास्ता सरोकार नही है। उसे अपनी पुत्री वर्षा से अब कोई शिकायत नहीं है। देवेन्द्र उर्फ भूरा ने उसकी पुत्री के साथ जो किया है वह उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। पी०डब्लू०–1 एक महत्वपूर्ण साक्षी है जोकि वादी मुकदमा है और इसने अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है। परन्तु इसके साक्ष्य में आया है कि जब यह घटना हुयी तब वह घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि खेत पर काम कर रहा था और उसने कालका व खेत सिंह यादव के बताने के आधार पर अभियुक्तगण का नाम तहरीर में लिखा था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना के चार दिन बाद यह पता चल गया था कि उसकी पुत्री को देवेन्द्र उर्फ भूरा व उसके मामा का लडका ले गया था। अब यह देखना है कि साक्षी कालका व खेत सिंह यादव ने अपने साक्ष्य में क्या कहा है?

23. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–2 कालका प्रसाद व पी०डब्लू–3 खेत सिंह यादव महत्वपूर्ण साक्षी हैं क्योंकि वादी मुकदमा पी०डब्लू० –1 ने कहा है कि कालका व खेत सिंह यादव के बताने के आधार पर उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। पी०डब्लू०–2 कालका प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि आज से लगभग बारह–सवा बारह साल पहले सुघर सिंह की लड़की अपने घर से कहीं चली गयी थी जिसकी उसे जानकारी हुयी थी। उसने सुघर सिंह की लड़की वर्षा को किसी को ले जाते हुये नहीं देखा। उसे आज भी जानकारी नहीं है कि सुघर सिंह यादव की लड़की वर्षा को कौन ले गया था। वर्षा के घर से जाने की बात सुघर सिंह यादव ने उसे स्वयं काफी दिन बाद बतायी थी। तब उसे जानकारी हुयी। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से इस साक्षी की जब प्रति परीक्षा हुयी तब इस साक्षी ने कहा है कि उसने घटना वाले दिन वादी की पुत्री को मोटर साइकिल से देवेन्द्र यादव व भूपेन्द्र को ले जाते हुये नहीं देखा था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वह देवेन्द्र यादव व भूपेन्द्र को आज भी जानता पहचानता नहीं है। हाजिर अदालत देवेन्द्र यादव व भूपेन्द्र को देखकर कहा कि वह इन दोनों को नहीं पहचानता है

और न ही आज से पहले इन दोनों को कभी देखा है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० –3 खेत सिंह यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि बारह–सवा बारह साल पहले सुघर सिंह की लड़की अपने घर से कहीं चली गयी थी जिसकी उसे जानकारी हुयी थी। उसने सुघर सिंह की लड़की वर्षा को किसी को ले जाते हुये नहीं देखा। उसे आज भी जानकारी नहीं है कि सुघर सिंह यादव की लड़की वर्षा को कौन ले गया थाा। वर्षा के घर से जाने की बात सुघर सिंह यादव ने उसे स्वयं काफी दिन बाद बतायी थी। तब उसे जानकारी हुयी। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से इस साक्षी की जब प्रति परीक्षा हुयी तब इस साक्षी ने कहा है कि उसने घटना वाले दिन वादी की पुत्री को मोटर साइकिल से देवेन्द्र यादव व भूपेन्द्र को ले जाते हुये नहीं देखा था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वह देवेन्द्र यादव व भूपेन्द्र को आज भी जानता पहचानता नहीं है। हाजिर अदालत देवेन्द्र यादव व भूपेन्द्र को देखकर कहा कि वह इन दोनों को नहीं पहचानता है और न ही आज से पहले इन दोनों को कभी देखा है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि वर्षा इनके साथ रहती है या नहीं। पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–3 जिनके द्वारा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को मोटर साइकिल से ले जाने को देखने की बात प्रथम सूचना रिपोर्ट में की गयी है इन साक्षीगण ने न्यायालय में वादी की पुत्री को अभियुक्तगण द्वारा ले जाते हुये देखने से इंकार किया है तथा घटना का समर्थन नहीं किया है।

24. यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता वर्षा को पी०डब्लू० –4 के रूप में परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू०–4 के अपहरण करने के सम्बन्ध में ही वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा व विश्वसनीय साक्ष्य पी०डब्लू० –4 ही दे सकती है। समस्त अभियोजन कथानक पी०डब्लू०–4 के सम्बन्ध में ही है इसलिए इसका साक्ष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह दिनांक 01.04.2012 को देवेन्द्र के साथ घर से भागकर नहीं गयी थी, बल्कि वह अकेली ही घर से दिल्ली चली गयी थी क्योंकि उसके माता–पिता उसकी शादी उससे दुगुनी उम्र के व्यक्ति से बिना उसकी मर्जी के कर रहे थे इस कारण वह अकेली दिल्ली चली गयी थी। उसके साथ भूपेन्द्र यादव भी नहीं गया था। घर से जाने के लगभग दो साल बाद उसकी अभियुक्त देवेन्द्र से दिल्ली में मुलाकात हुयी थी। उसने प्रयागराज में आर्य समाज मंदिर से शादी की थी। यह सही है कि उसके घर से जाने के बाद दिनांक 05.04.2012 को रिपोर्ट हुयी थी। यह रिपोर्ट उसके पिता ने देवेन्द्र व भूपेन्द्र यादव के नाम दर्ज की थी। इस रिपोर्ट की जानकारी उसे घटना के दो साल बाद हुयी जब उसने शादी कर ली थी। यह सही है कि घर से जाने के बाद आज तक अपने पिता के घर नहीं गयी है। इस साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपनी प्रति परीक्षा में साक्षी ने कहा है कि घटना

वाले दिन वह अपने पिता के गांव से दिन के तीन–चार बजे दिल्ली के लिए निकली थी। वह उस समय देवेन्द्र से प्यार नहीं करती थी। वह दिल्ली जाते समय अपने पास इकट्ठे किये गये चार–पॉच सौ रूपये लेकर गयी थी और वह दिल्ली में रूम लेकर जाब करती रही। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि उसने दिनांक 08.07.2014 में शादी की थी। शादी आर्य समाज मन्दिर में इलाहाबाद में की थी। शादी के प्रमाण पत्र की छायाप्रति पत्रावली में लगी है। इस साक्षी ने आगे अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि अभियुक्त भूपेन्द्र को वह पहले से नहीं जानती थी ,बल्कि देवेन्द्र से शादी के बाद भूपेन्द्र को जानने–पहचानने लगी है। भूपेन्द्र देवेन्द्र का सगे मामा का लड़का है। इस साक्षी ने यह कहा है कि उसे देवेन्द्र व भूपेन्द्र भगाकर नहीं ले गये थे। इस साक्षी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 214507/2014 प्रस्तुत करते हुये मुकदमा खत्म करने की प्रार्थना की है।

25. अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता वर्षा को बहला–फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। पीड़िता ने स्वयं ही घटना से इंकार किया है और उसने अभियुक्तगण के साथ कहीं भी जाने से इंकार किया है, बल्कि वह स्वयं ही अकेली दिल्ली गयी थी। तथ्य के अन्य साक्षीगण द्वारा घटना के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को बहला–फुसलाकर ले जाया गया हो और उसके साथ अयुक्त सम्भोग करने या विवाह करने के लिए विवश किया गया हो। अन्य अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 व पी०डब्लू–6 औपचारिक साक्षी हैं जिन्होंने आरोप पत्र, नक्शा नजरी, फर्द तलाशी,जी०डी० कायमी, चिक एफ०आई०आर० को साबित किया है। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि दौरान विवेचना पीड़िता को पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया गया था और न ही अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, बल्कि विवेचक द्वारा मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस सम्बन्ध में विवेचक पी०डब्लू०–5 ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि अभियोग पंजीकृत होने से लेकर आज तक मुकदमे की पीड़िता व नामित अभियुक्तगण से कोई सम्पर्क नहीं हो सका है। तहरीर के अनुसार मात्र दो ही चक्षुदर्शी साक्षी कालका व खेत सिंह थे। इन दोनों के अलावा विवेचना के दौरान किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री के ले जाने के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया। कालका व खेत सिंह ने पी०डब्लू० –2 व पी०डब्लू०–3 के रूप में न्यायालय में उनके सामने घटना होने से ही इंकार किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 363,366 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नही है और ऐसे अपर्याप्त साक्ष्य से अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। तद्नुसार अवधार्य बिन्दु संख्या–2 निस्तारित किया जाता है।

26. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में व सम्पूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन

पक्ष अभियुक्तगण देवेन्द्र उर्फ भूरा यादव व भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा 363,366 भा०दं०सं० के अपराध को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त साक्ष्य के अभाव में धारा 363,366 भा०दं०सं० के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

27. सत्र वाद संख्या 361/2023 सरकार बनाम देवेन्द्र उर्फ भूरा आदि में अभियुक्तगण देवेन्द्र उर्फ भूरा यादव व भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा 363, 366 भा०दं०सं० के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

28. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामें निरस्त करते हुये उनके प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

29. अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के अन्दर धारा 437 ए०दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक–एक जमानत व इसी धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करें।

दिनांकः02.04.2026 **(तेन्द्र पाल)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

निर्णयादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः02.04.2026 **(तेन्द्र पाल)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

Digitally signed by TENDRA PAL
Date: 2026.04.03 12:14:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court